न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

ख्या : 16/71

प्रहलाद आत्मज श्री पांचूदास जी बाबाजी निवासी ग्राम रामगंज की झौंपडियॉ तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती ज्योति पत्नी श्री गिरिराज जातिम ीणा निवासी ग्राम लबान तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
2. जगदीश
3. रामप्रसाद
4. भल्ला राम
5. बरधा बाई पिसरान स्वर्गीय श्री नारायण जी जाति मीणा निवासीगण ग्राम नीमखेडा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
6. पुष्पा बेवा नारायण जी जाति मीणा निवासी ग्राम नीमखेडा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
7. मनीष
8. शिमला
9. रेवंता पिसरान स्वर्गीय अम्बालाल जाति मीणा निवासीगण ग्राम नीमखेडा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
10. कैलाशी बेवा अम्बालाल जाति मीण निवासी ग्राम नीमखेडा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
11. मथरी बाई पुत्री मांगी लाल जाति मीणा निवासी ग्राम नीमखेडा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
12. राजस्थान राज्य जरिये राजकीय अभिभाषक, कोटा ।

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 27.03.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.05.2015 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी जिला बून्दी के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89 एवं 188 अन्तर्गत ग्राम रामगंज तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी में आराजी खसरा नम्बर 210 रकबा 3.98 हैक्टर के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में 1/2 हिस्से की खातेदार प्रतिवादिनी संख्या 10 एवं शेष 1/2 हिस्से के खतोदार प्रतिवादी क्रम 1 से 9 हैं । प्रतिवादी क्रम 1 से 9 ने अपने हिस्से की आराजी जो जरिये रजिस्टर्ड बेचान पत्र से दिनांक 11.12.2013 को वादिनी को बेचान कर कब्जा संभला दिया तब से ही वह उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है ।

वादिनी के हक में प्रतिवादी संख्या 1 से 9 के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे वादग्रस्त आराजी में वादिनी को 1/2 हिस्से खातेदार घोषित किया जावे एवं राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादीगण क्रम 1 से 9 का नाम विलोपित किया जाकर वादिनी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित किया जावे । प्रतिवादी क्रम 1 से 9 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे विवादित आराजी के किसी भी हिस्से को रहन, बेचान दान नहीं करें एवं वादिनी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखल व मजाहमत नहीं करे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एंव डिक्री दिनांक 13.05.2015 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार करते हुए वादिनी को वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में वादिनी का नाम दर्ज करने एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निर्णय एवं डिक्री पारित की ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.05.2015 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त करने का निवेदन किया ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में पूर्व में भी वाद चला था जिसमें अपीलान्ट ने पूर्व निर्णय के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तत की थी जो वर्तमान में भी विचाराधीन है जिसमें स्थगन आदेश भी जारी हो रहा है । उक्त स्थगन आदेश वर्तमान में भी प्रभावशील है । अपीलान्ट ने वादग्रस्त आराजी को जमना लाल से लगभग 48 वर्ष पूर्व क्रय किया था क्रय के प्रमाण में जमना लाल ने अपीलान्ट के पक्ष में तहरीर बेचान भी निष्पादित कर दी थी । अपीलान्ट द्वारा उक्त तहरीर के सम्बन्ध में नियमानुसार मुद्रांक शुल्क भी अदा किया जा चुका है । उक्त भूमि पर अपीलान्ट काबिज काश्त है । वादग्रस्त आराजी में अपीलान्ट का हित–निहित है प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट आवश्यक पक्षकार था जिसे अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया था । प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाया था इसलिए वह अपनी ओर से जवाब आदि प्रस्तुत नहीं कर सका था । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 13.05.2015 निरस्त फरमाया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड फरमाया जावे ।

8. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया । प्रस्तुत प्रकरण में वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में श्रीमती रूकमणी विधवा पत्नी जमनालाल एवं हरिप्रकाश आत्मज जमनालाल ने विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89, 91 एवं 183 का अपीलान्ट नारायण जी (पूर्वज रेस्पोडेन्ट क्रम 1 से 6) एवं अन्य के विरूद्ध प्रस्तुत किया था उक्त वाद दिनांक 29.08.98 को खारिज कर दिया गया था । उक्त निर्णय के व्यथित होकर रूकमणी ने अपीलीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिसे आंशिक रूप से स्वीकार किया गया । उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट ने माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल में अपील प्रस्तुत की । माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने उक्त अपील दिनांक 20.02.2015 को निर्णित कर उक्त वादग्रस्त आराजी सिवायचक दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया । उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलान्ट ने

नीय राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तत की थी जो वर्तमान में भी विचाराधीन है समें स्थगन आदेश भी जारी हो रहा है । प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट आवश्यक पक्षकार था जिसे अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया था । अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में अपनी ओर से जवाबदेही भी प्रस्तुत नहीं कर सका । प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट आवश्यक पक्षकार है । अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 पेश किया था जिसे न्यायालय हाजा ने स्वीकार किया है । ऐसी स्थिति में हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

9. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.05.2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान दिनांक 14.05.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

10. निर्णय आज दिनांक 27.03.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा